रेलवे स्टेशनों पर खान-पान सेवाएं

2737. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ग्वालियर, बीना, भोपाल, इटारसी, बिलासपुर, रायपुर, जबलपुर, इन्दौर रेलवे स्टेशनों पर खान-पान सेवाएं प्रदान कर रहे ठेकेदारों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने ठेकेदार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के हैं तथा वे किन-किन रेलवे स्टेशनों पर काम कर रहे हैं;

(ग) सरकार ने उन्हें कितने स्टॉल, फेरी ट्रालियां तथा बीड़ी-सिगरेट के स्टॉल स्वीकृत किए हैं;

(घ) इन ठेकेदारों को किन-किन तारीखों को ठेके दिए गए तथा क्या वे अभी भी चालू हैं ;

(ङ) यदि इनमें से कुछ ठेकेदारों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके नाम क्या हैं और वे किन-किन स्टेशनों पर काम करते थे तथा क्या उन्हें दिए गए ठेकों को रद्द करके समाचार-पत्रों में नए विज्ञापन दिए गए हैं;

(च) अनुसूचित जातियों और अनु-सूचित जनजातियों के ऐसे ठेकेदारों की संख्या कितनी है जिन्हें नए ठेके दिए जाने की संभावना है; और

(छ) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित अनुसूचित जातियों और अनु-सूचित जनजातियों के ठेकेदारों को सामान्य श्रेणी की तुलना में कम बिक्री स्टॉल, ट्रालियां तथा बिक्री-स्थल स्वीकृत किए गए हैं; यदि हां, तो रेलवे इस पक्षपात को कब तक समाप्त कर देगी ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) (ख), (घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 155, अनुबंध सं. 93]

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(च) यह खाली होने वाले या स्वीकृत किए जाने वाले ठेकों की किस्म और यूनिट मूल्य पर निर्भर करेगी ।

(छ) ठेकों का आवंटन बिना किसी भेदभाव के नीति के अनुसार किया जाता है । वस्तुतः आधा यूनिट के बराबर सभी खानपान/वेंडिंग के ठेके केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ही आवंटित किए जाते हैं । स्टालों तथा ट्रालियों की संख्या ठेकेदार को प्राप्त ठेके के यूनिट मूल्य तथा प्लेटफार्म/स्टेशन विशेष पर इसकी आवश्यकता पर निर्भर करती है ।

irregularities in Draw of Lots of Flats by Group Housing Societies

2738. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will' • the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 3297 given in the Rajya Sabha on the 11th August, 1989; and state:

(a) the dates on which the DDA/ Registrar, Cooperative Societies came to know of the illegal draw of lots conducted by Anand Lok Cooperative Group Housing Society in violation o* the Directives dated 31-5-84 and the date on which action against the society was initiated by the DDA and Registrar Cooperative Societies in this regard and the details thereof:

(b) the date and the details of the order of the High Court directing the Registrar Cooperative Societies tO verify membership of the said- society at the late stage and the basis on which the said order was passed by the High Court;